सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 01.10.2024

जनपद –आजमगढ़

01. थाना कोतवाली: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि वादी दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्यामधारी निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें वादी का लड़का सूरज कुमार उम्र 24 वर्ष दि. 11.11.23 को 7.30 बजे बलरामपुर शराब ठेके के पास अपने दोस्त आमीर पुत्र कासिम ग्राम मनचोभा व एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद थे। पिता दिनेश कुमार जब घर चलने के लिए बोले तो सूरज कुमार बताया कि मैं आमीर के साथ घर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद दिनेश के फोन करने पर सूरज कुमार ने अपने पिता को बताया कि मुझे आमीर व उनके दोस्त किशुनदासपुर ले जा रहे है और फोन कट गया। दिनांक 13.11.23 को तमसा नदी ग्राम ककरहटा में लाश मिलने पर वादी दिनेश कुमार द्वारा शिनाख्त करने के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.11.23 को मु0अ0सं0 650/23 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था।

दिनांक- 22.09.2024 को जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के तहत थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 527/24 धार3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम 05 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- 29.09.2024 को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. शेख कासिम पुत्र चुन्ने उर्फ तौहिद , 2. अनम बानो पुत्री शेख कासिम, 3. नुराना बानो पत्नी शेख कासिम उम्र 47 वर्ष निवासीगण मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ को समय करीब 18.32 बजे ग्राम मनचोभा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02.थाना- मेंहनगर: जेवरात की छिनैती करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार; 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में; छिनैती के जेवरात, चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.09.2024 को वादिनी श्रीमती कविता पुत्री किशोरी राम ग्रा0 बलेलपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 16.09.24 को समय करीब 4.00 बजे शाम को प्रार्थिनी मेंहनगर बाजार से एक मंगलसूत्र सोने का व पायल चांदी का और बच्चों का चांदी का चुड़िला व कुछ रुपये नगद ले जा रही थी अहियाई बाजार तिराहा पर टैम्पू से उतरी घर जाने के लिये जा रही थी तब तक 3 आदमी बाइक सवार तुरन्त प्रार्थिनी की बैग छीन कर आजमगढ़ के तरफ रोड से भाग गये और उस बैग में प्रार्थिनी की अधार कार्ड व मोबाइल भी था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 375/2024 धारा 304(2) बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 30.09.2024 को प्र0 नि0 अनुराग कुमार मय हमराह निरीक्षक जयप्रकाश यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्तो से सम्बन्धित अभियुक्त 1.आशीष पुत्र सच्चेलाल निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ 2.अंकुर पुत्र धरमू राम निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ 3.रितेश कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को समय 06.20 बजे डीहा मगही नदी पुल पर से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तों के कब्ज से छिनैती के 1 चोरी की मोटर साइकिल, एक लूट की मोबाइल, एक लॉकेट पुराना पीली धातु, 1 जोड़ी पायल सफेद धातु, 4 बच्चो की चुड़ी सफेद धातु, बिछुआ 2 जोड़ी पुराना सफेद धातु, 2 अंगूठी सफेद धातु पुरानी व , 1 तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर ,2 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं 392/24 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

03.थाना बिलरियागंज: सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर अवैध असलहा के साथ अपनी फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 उमाशंकर तिवारी मय हमराह को सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर अवैध तमंचे के साथ एक व्यक्ति की फोटो वायरल हो रही है, वायरल फोटो की जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त अवैध तमंचे के साथ किशन सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी फोटो वायरल किया गया था। अवैध असलहे से किशन सरोज उपरोक्त द्वारा लोगो को दिखाकर धमकाया जाता है उपरोक्त का यह कृत्य धारा 125, 351(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 340/24 धारा 125, 351(2) बीएनएस बनाम किशन सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 30.09.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह व उ0नि0 उमाशंकर तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अवैध 01 तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार परमुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 शस्त्र अधि0 की बढ़ोत्तरी की गयी है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना बरदह: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 19.12.2022 को वादी मुकदमा अजय कुमार राजभर पुत्र रामदुलार राजभर नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी अशोक उर्फ टेल्हू राजभरर पुत्र रामदेव नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा वादी की मां को ईट से गम्भीर चोट पहुँचायी गयी, जिससे वादी की मां की मृत्यु हो गयी थी।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 404/2022 धारा 302/307/323 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 30.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक उर्फ टेल्हू राजभरर पुत्र रामदेव नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जनपद –मऊ

2. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त आजीवन कारावास व रू-1,25,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ASJ- 1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-09-2024 को मु0अ0सं0 170/2021 धारा 363, 302, 201, 377, 511 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त बलवन्त कुमार उर्फ राजा पुत्र रामवृक्ष निवासी सोनाडीह थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं रू-1,25,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विमल श्रीवास्तव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

जनपद – बलिया

1. थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर) से गैर प्रान्त हेतु तस्करी की जा रही 55 अदद भिन्न भिन्न ब्राण्ड की अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.09.2024 की रात्रि थाना बैरिया पुलिस टीम के व0उ0नि0 श्री सुशील कुमार दूबे मय हमराह फोर्स पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर गोन्हिया छपरा रेलवे अण्डर पास से अभियुक्त संदीप कुमार यादव S/O जयराम यादव R/O नटवर सेमरिया थाना रिविलगंज जिला सारण बिहार के द्वारा चोरी की मोटर साइकिल ग्लैमर UP60AL4565 पर लादकर ले जा रहे भिन्न-भिन्न ब्राण्ड के अंग्रेजी शराब 04 बड़ी शीशी रायल स्टैग 750 ML प्रत्येक, 11 अदद रायल स्टैग हाफ 325 ML, 10 अदद आफ्टर डार्क ब्लू 180ML प्रत्येक व 30 अदद फ्रूटी 8PM,180 ML प्रत्येक कुल 55 अदद कुल मात्रा 14 लीटर 325 मी0ली0 अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मोटर साइकिल ग्लैमर बिहार से चुराया था जिसका नम्बर बदल कर चला रहा था। मोटर साइकिल के चेचिस नं0

MBLJAR022JGFF05234 को ई-चालान ऐप पर चेक किया गया तो मोटर साईकिल ग्लैमर नं0 BR29AF3294 इरफान अहमद S/O मुर्तजा R/O तरवारा थाना तरवारा सिवान बिहार के नाम से पंजीकृत होना पाया गया। ई-चालान ऐप में उपलब्ध पंजीकृत वाहन स्वामी के मो0नं0 पर वार्ता की गयी तो वाहन स्वामी द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.05.2023 को मोटर साईकिल चोरी हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना जी0वी0 नगर सिवान बिहार में दि0 05.05.2023 को मु0अ0सं0 156/23 धारा 379 भा.द.वि. लिखाया गया था। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बैरिया पर अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 557/24 धारा 317/336(3)/318(4) बी.एन.एस व धारा 60(1)/63 आबकारी अधिनियम थाना बैरिया जनपद बलिया

नाम पता अभियुक्त-

1. संदीप कुमार यादव S/O जयराम यादव R/O नटवर सेमरिया थाना रिविलगंज जिला सारण बिहार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 342/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना रेवती जनपद बलिया
2. मु0अ0सं0 156/23 धारा 379 भा.द.वि. थाना जी.वी. नगर, सिवान बिहार।

बरामदगी का विवरण-

1. 04 बड़ी शीशी रायल स्टैग 750 ML प्रत्येक ,11 अदद रायल स्टैग हाफ 325 ML , 10 अदद आफ्टर डार्क ब्लू 180ML प्रत्येक व 30 अदद फ्रूटी 8PM ,180 ML प्रत्येक कुल 55 अदद कुल 14 लीटर 325 मी0ली0 अंग्रेजी शराब।
2. एक अदद चोरी की मोटर साईकिल ग्लैमर नं0 BR29AF3294

2. थाना उभांव जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31.07.2024 को वादी मुकदमा/मजरूब निरंजन कुमार पुत्र जयकिसुन सा0 सोनबरसा पो0 हल्दीराम थाना उभाँव जनपद बलिया द्वारा थाना उभांव पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मै अपनी खेत में कार्य कर रहा था, मेरे विपक्षी (पटीदार) मन्टू पुत्र राजू और राजू की पत्नी इन्द्रावती, मुझ प्रार्थी के खेत में बकरी चरा रही थी, उस पर मै विरोध किया तो मन्टू और राजू की पत्नी इन्द्रावती मुझ प्रार्थी को भद्दी भद्दी गाली गुप्ता देते हुए लात घूसे से बहुत मार मारे इस सूचना पर थाना उभांव द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पीड़िता का ईलाज अस्पताल में चल रहा था पीड़ित निरंजन को आई गंभीर चोटों के दृष्टिगत मुकदमा में धारा 109 बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी थी। मजरूब/पीड़ित निरंजन कुमार उपरोक्त की दौराने इलाज मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी कर नामजद 02 अभियुक्त 1. मन्टू 2. इन्द्रावती तथा प्रकाश में आए एक अन्य अभियुक्त 3. राजू की तलाश थाना उभांव पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी। जिनकी गिरफ्तारी की गयी है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.09.2024 को थाना उभाँव प्रभारी निरीक्षक श्री विपिन सिंह मय टीम द्वारा चेकिंग सन्दिग्ध वाहन/ सन्दिग्ध व्यक्ति, तलाश वांछित वारण्टी करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 280/2024 धारा 109,115(2)/352/117(2) व बढोत्तरी धारा 103(1) BNS से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त 1. मन्टू पुत्र राजू 2. राजू पुत्र स्व0 जई निवासीगण ग्राम सोनबरसा थाना उभांव जनपद बलिया को समय 19.20 बजे ग्राम अवांया पुलिया से गिरफ्तार किया गया, तथा आज दिनांक 30.09.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता इन्द्रावती देवी पत्नी राजू सा0 सोनबरसा थाना उभांव जनपद बलिया को मुखबिर की सूचना पर समय 07.05 बजे फरसाटार तिराहे से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अन्य विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय बलिया भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 280/2024 धारा 103(1), 109,115(2), 352, 117(2) BNS थाना उभांव जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मन्टू पुत्र राजू सा0 सोनबरसा थाना उभांव जनपद बलिया
2. राजू पुत्र स्व0 जई सा0 सोनबरसा थाना उभांव जनपद बलिया
2. इन्द्रावती देवी पत्नी राजू सा0 सोनबरसा थाना उभांव जनपद बलिया

3. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 02 नफर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 30,000 (तीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 30.09.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-266/2020 धारा-302,201 भादवि व में 02 नफर अभियुक्तगण 1. जयप्रकाश यादव पुत्र सूरज यादव निवासी गोपाल नगर रेवती बलिया 2. प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ राजा सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी योगेन्द्र गिरी की मठिया इब्राहिमाबाद बैरिया बलिया को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा-

धारा-302/34 भा0दं0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 25,000/ (पच्चीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा-201 भा0दं0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास से 5000/ (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
संक्षिप्त विवरण- प्रार्थी अपने लड़के दिलीप यादव की 01.08.2020 को गुमशुदगी दर्ज करायी थी, दिनांक 04-08-20 को दीलीप का शव सोनबरसा नाले के पास मिली, जिससे वादी द्वारा अपने लड़के की पहचान की गयी थी, हत्या वादी के गांव के रहने वाले जय प्रकाश यादव और प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ राजा सिंह के द्वारा दिलीप की हत्या करके शव को छिपा दिया गया था।
अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव कुमार सिंह

4. थाना रेवती पुलिस द्वारा गुमशुदा 01 नाबालिक युवती को सकुशल बरामद कर, परिवारजन को किया गया सुपुर्द। परिजनों के चेहरे पर आई मुस्कान, पुलिस टीम को दिया धन्यवाद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री विक्रान्त वीर द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन मुस्कान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय श्री कृपा शंकर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बैरिया महोदय श्री मो0 उस्मान के कुशल निर्देशन में व थानाध्यक्ष रेवती श्री रोहन राकेश सिंह के नेतृत्व में रेवती पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता।
उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा लिखित शिकायती पत्र के साथ सूचना दी गयी कि मेरी नाबालिक पुत्री गुम हो गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध सख्या 272/23 धारा 363 ipc पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना रेवती पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए पुलिस सम्बन्धी समस्त वाट्स ऐप ग्रुप व सोशल मीडिया की मदद लेते हुए नाबालिग को आज दिनांक 30.09.204 को सकुशल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

5. थाना नरही पर पंजीकृत मुकदमें में तीन नफर अभियुक्तगण के द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया, 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड पर तीनो को भेजा गया जेल।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित सभी 29 नफर अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्द है।
थाना नरही पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 211/2024 धारा 111,309(4),310(2), 61(2), 318 बीएनएस व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 हुआ था, जिसकी विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ श्री शुभम अग्रवाल को दी गयी थी विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित *अभियुक्त पूर्व चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह राजेश प्रभाकर जो की मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त थे, तथा विवेचना से प्रकाश में आये 02 अन्य अभियुक्तगण प्रवीण राय उर्फ गोलु व चन्दन यादव उर्फ टनमन यादव के द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को मा0 न्यायालय एण्टी करप्शन कोर्ट वाराणसी में आत्मसमर्पण किये। जिनको मा0 न्यायालय के द्वारा 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में कारागार भेजा गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद कुल 24 नफर अभियुक्तगण व विवेचना से प्रकाश में आये कुल 05 नफर अभियुक्तगण को इस प्रकार सभी 29 नफर अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध है।

6. थाना दुबहड़ पुलिस द्वारा गुमशुदा 01 विवाहित महिला को सकुशल बरामद कर परिवारजन को किया गया सुपुर्द। परिजनों के चेहरे पर आई मुस्कान, पुलिस टीम को दिया धन्यवाद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री विक्रान्त वीर द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन मुस्कान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय श्री कृपा शंकर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री गौरव शर्मा के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक दुबहड़ श्री राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दुबहड़ पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.09.2024 को वादी द्वारा लिखित शिकायती पत्र के साथ सूचना दी गयी कि मेरी पत्नी घर से बिना बताये कही चली गयी है काफी खोजबीन के उपरान्त भी न मिलने पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी दर्ज करते हुए थाना दुबहड़ पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए पुलिस सम्बन्धी समस्त वाट्स ऐप ग्रुप व सोशल मीडिया की मदद लेते हुए विवाहित महिला को आज दिनांक 30.09.2024 को सकुशल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।